परिशिष्ट–3

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

–अधिसूचना–

दिनांक.....................2017

ज्ञापांकः–4/ब1–102/2008, गृ0आ0....................../बिहार पुलिस अधिनियम 2007 (अधिनियम 7, 2007) की धारा 55 सह पठित धारा–94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक– 1978 के नियम 663 (क) के परिशिष्ट–103 में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

संशोधन

परिशिष्ट– 103 [(नियम–663 (क)]

1. बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के परिशिष्ट 103 की कंडिका–5 "लिखित परीक्षा" की उप कंडिका (i) का संशोधन। – बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के परिशिष्ट 103 की कंडिका–5 "लिखित परीक्षा" की उप कंडिका (i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः–

"(i) लिखित परीक्षा। – आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरान्त, आवेदन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाये जायेंगे, उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष के स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। दो घंटों के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखी जाने के लिए होगी।"

2. बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के परिशिष्ट 103 की कंडिका–5 की उप कंडिका (iii) का संशोधन। – परिशिष्ट–103 की कंडिका–5 की उप कंडिका (iii) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः–

"(iii) लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक परीक्षा के लिए अर्हक (Qualifying) होगी।"

3. परिशिष्ट–103 की कंडिका–5 की उप कंडिका (iv) को विलोपित किया जायेगा।

4. बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के परिशिष्ट 103 की कंडिका–5 की उप कंडिका (ञ) का संशोधन। – परिशिष्ट–103 की कंडिका–5 की उप कंडिका (ञ) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः–

"(ञ) उम्र (i) सामान्य कोटि के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष।

(ii) पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरूषों के लिए अधिकतम उम्र–सीमा में 2 वर्षो की छूट, यानि न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष।

(iii) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र –सीमा में 3 वर्षो की छूट, यानि न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष।

(iv) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरूषों एंव महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र–सीमा में 5 वर्षो की छूट यानि न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष।"

5. बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के परिशिष्ट 103 की कंडिका–5 की उप कंडिका (ण) का संशोधन।– परिशिष्ट–103 की कंडिका–5 की उप कंडिका (ण) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:–

"(ण) शारीरिक योग्यता परीक्षा– कुल 100 अंक

(1) दौड़–50 अंक

सभी कोटि के पुरूषों के लिए– 1 मील (1.6 कि0मी0) [अधिकतम 6 मिनट में]

5 मिनट से कम	–	50 अंक
5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकण्ड तक	–	40 अंक
5 मिनट 21 सेकण्ड से 5 मिनट 40 सेकण्ड तक	–	30 अंक
5 मिनट 41 सेकण्ड से 6 मिनट तक	–	20 अंक

सभी कोटि की महिलाओं के लिए– 1 कि0मी0 [अधिकतम 6 मिनट में]

5 मिनट से कम	–	50 अंक
5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकण्ड तक	–	40 अंक
5 मिनट 21 सेकण्ड से 5 मिनट 40 सेकण्ड तक	–	30 अंक
5 मिनट 41 सेकण्ड से 6 मिनट तक	–	20 अंक

6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जायेगा।

(2) गोला फेंक– अधिकतम 25 अंक

सभी कोटि के पुरूषों के लिए :– 16 पौंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा।

16 फीट	–	05 अंक
16 फीट से ज्यादा एवं 17 फीट तक	–	09 अंक
17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक	–	13 अंक
18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक	–	17 अंक
19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक	–	21 अंक
20 फीट से ज्यादा	–	25 अंक

सभी कोटि की महिलाओं के लिए :– 12 पौंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा।

10 फीट	–	05 अंक
10 फीट से ज्यादा एवं 11 फीट तक	–	09 अंक
11 फीट से ज्यादा एवं 12 फीट तक	–	13 अंक
12 फीट से ज्यादा एवं 13 फीट तक	–	17 अंक
13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक	–	21 अंक
14 फीट से ज्यादा	–	25 अंक

(3) ऊँची कूद– अधिकतम 25 अंक

सभी कोटि के पुरूषों के लिए :– न्यूनतम ऊँचाई 4 फीट।

04 फीट	–	09 अंक
04 फीट से ज्यादा एवं 4 फीट 4 ईंच तक	–	13 अंक
04 फीट 4 ईंच से ज्यादा एवं 4 फीट 8 ईंच तक	–	17 अंक
04 फीट 8 ईंच से ज्यादा एवं 5 फीट तक	–	21 अंक
05 फीट से ज्यादा	–	25 अंक

सभी कोटि की महिलाओं के लिए :– न्यूनतम ऊँचाई 3 फीट।

03 फीट	–	09 अंक
03 फीट से ज्यादा एवं 3 फीट 4 ईंच तक	–	13 अंक
03 फीट 4 ईंच से ज्यादा एवं 3फीट 8 ईंच तक	–	17 अंक
03 फीट 8 ईंच से ज्यादा एवं 4 फीट तक	–	21 अंक
04 फीट से ज्यादा	–	25 अंक

नियत समय, अर्थात् 6 मिनट, में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थी को गोला फेंक एवं/अथवा ऊँची कूद स्पर्धा/स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नही करने पर भी असफल घोषित नहीं किया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को संबंधित स्पर्धा में शून्य (0) अंक प्रदान किया जाएगा।

जिला एवं सैन्य पुलिस के सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक योग्यता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, यथा दौड़, ऊँची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जायेगी। शारीरिक योग्यता परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में, मेधा सूची में उनका पारस्परिक स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथियों के आधार पर, एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर उनके स्थान मेधा सूची में विनिश्चित किए जायेंगे। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की दशा में अधिक उम्र वाले एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।"

सिपाही बहाली हेतु शेष अर्हताएँ पूर्ववत् रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(रंजन कुमार सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–4/ब1–102/2008, गृ0आ0....................../ दिनांक.....................2017

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना –07/प्रभारी ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि अधिसूचना की 1000 अतिरिक्त प्रतियाँ कार्यालय प्रयोग हेतु गृह विभाग (आरक्षी शाखा) को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–4/ब1–102/2008, गृ0आ0....................../ दिनांक.....................2017

प्रतिलिपि :– पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार पुलिस हस्तक में राज्य सरकार के आदेशानुसार संशोधित अंश को प्रतिस्थापित करने की कार्रवाई की जाय।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–4/ब1–102/2008, गृ0आ0...3170.../ दिनांक...10/3...2017

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

Appendix-4

Bihar Government
Home Department
(Police Section)

----Notification---

Dated...................../

Memo No.-4/B-1-102/2008 H.P................../ In exercise of the powers conferred under Section 55 read with Section 94 of the Bihar Police Act, 2007 (Act 7 of 2007), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in Appendix 103 of Rule – 663(a) of the Bihar Police Manual, 1978 with effect from the date of issue of notification :-

Amendments
Appendix 103 [Rule-663 (a)]

1. Amendment of Sub-Para (i) of Paragraph-5 of Appendix 103 of Bihar Police Manual, 1978.- The Sub-Para (i) of Paragraph 5 "Written Examination" in Appendix 103 of Bihar Police Manual, 1978 shall be substituted by the following, namely:-

"(i) Written Examination.- After collection of application forms, scrutiny of application forms will be done and written examination will be conducted for those candidates whose application forms are found in order. The standard of written examination will be of Intermediate (10+2) of Bihar School Examination Board or equivalent and questions will be of objective type. Written Examination will be of 100 marks. There will be 100 questions in the question paper of two hour duration, in which 01 mark will be given for each correct answer. Each answer book will be in duplicate, out of which one copy will be in the form of invisible carbon copy to be kept reserved with Selection Board."

2. Amendment of Sub-Para (iii) of Paragraph-5 of Appendix 103 of Bihar Police Manual, 1978.- The Sub-Para (iii) of Paragraph 5 in Appendix 103 shall be substituted by the following, namely: -

"(iii) Written examination shall not be the basis of merit list. Written examination shall only be qualifying for the Physical Ability Test."

3. Sub-para (iv) of Paragraph 5 of Appendix 103 of Bihar Police Manual shall be deleted.

4. Amendment of Sub-Para (j) of Paragraph-5 of Appendix 103 of Bihar Police Manual, 1978.- The Sub-Para (j) of Paragraph 5 of Appendix 103 shall be substituted by the following, namely :-

"(j) Age : (i) Minimum 18 years and maximum 25 years age for General category.

(ii) Relaxation of 2 years in maximum age-limit for men of Backward classes category and Extremely Backward classes category i.e. Minimum 18 years and maximum 27 years age.

(iii) Relaxation of 3 years in maximum age-limit for women of Backward classes category and Extremely Backward classes category i.e. Minimum 18 years and maximum 28 years age.

(iv) Relaxation of 5 years in maximum age-limit for men and women of Scheduled Caste and Scheduled Tribe category i.e. Minimum 18 years and maximum 30 years age."

5. Amendment of Sub-Para (o) of Paragraph-5 of Appendix 103 of Bihar Police Manual, 1978.- The Sub-Para (o) of Paragraph 5 of Appendix 103 shall be substituted by the following, namely -

"(0) Physical Ability Test.- Total 100 Marks

(1) Run :– Maximum 50 Marks

For Men of all categories .- 1 Mile (1.6 Km) [in maximum 6 minutes]

Less than 5 Minutes -	50 marks
5 minutes to 5 minutes 20 seconds -	40 marks
5 minutes 21 seconds to 5 minutes 40 Seconds -	30 marks
5 minutes 41 seconds to 6 minutes -	20 marks

For Women of all categories :- 1 Km [in maximum 6 minutes]

Less than 5 minutes -	50 marks
5 minutes to 5 minutes 20 seconds -	40 marks
5 minutes 21 seconds to 5 minutes 40 seconds -	30 marks
5 minutes 41 seconds to 6 minutes -	20 marks

Candidate taking more than 6 minutes shall be declared fail.

(2) Shot Put :- Maximum 25 Marks

For Men of all categories :- A Shot Put of 16 Pound will have to be thrown up to minimum 16 feet.

16 feet -	05 marks
More than 16 feet and up to 17 feet -	09 marks

More than 17 feet and up to 18 feet -	13 marks
More than 18 feet and up to 19 feet -	17 marks
More than 19 feet and up to 20 feet -	21 marks
More than 20 feet -	25 marks

For Women of all categories :- A Shot Put of 12 Pound will have to be thrown up to minimum 10 feet.

10 feet -	05 marks
More than 10 feet and up to 11 feet -	09 marks
More than 11 feet and up to 12 feet -	13 marks
More than 12 feet and up to 13 feet -	17 marks
More than 13 feet and up to 14 feet -	21 marks
More than 14 feet -	25 marks

(3) <u>High Jump :- Maximum 25 Marks</u>

For Men of all categories :- Minimum height 4 feet.

4 feet -	09 marks
More than 4 feet and up to 4 feet 4 Inch -	13 marks
More than 4 feet 4 Inch and up to 4 feet 8 Inch -	17 marks
More than 4 feet 8 Inch and up to 5 feet -	21 marks
More than 5 feet -	25 marks

For Women of all categories :- Minimum height 3 feet.

3 feet -	09 marks
More than 3 feet and up to 3 feet 4 Inch -	13 marks
More than 3 feet 4 Inch and up to 3 feet 8 Inch-	17 marks
More than 3 feet 8 Inch and up to 4 feet	21 marks
More than 4 feet	25 marks

A candidate who has completed the running event in the stipulated time, i.e. within 6 minutes, shall not be declared fail even if he/she does not meet the determined standards in Shot Put and/or High Jump event(s) and such candidate would be awarded Zero (0) mark in the concerned event.

Merit list for selection for the appointment to the post of Constable in District and Military Police will be prepared on the basis of marks obtained by the candidates in all the three events under Physical Ability Test, viz. Run, Shot Put and High Jump. In case two or more candidates obtain equal marks in the Physical Test, their inter-se places in merit list shall be determined on the basis of their dates of birth ; and, in case of two or more candidates obtaining equal marks in the Physical Ability Test and having the same dates of birth, on the basis of their educational qualifications. Thus, in case of candidates obtaining equal marks, the older candidate and in case of candidates

obtaining equal marks and having the same dates of birth, the candidate having the higher educational qualifications shall be placed higher in the merit list. "

Remaining eligibility criterion for Constable appointment shall be same as before.

By the order of the Governor of Bihar
Sd/-
(Ranjan Kumar Sinha)
Additional Secretary to Govt.

Memo No.-4/B-1-102/2008 H.P................ Patna, Dated....................../

Copy to :- Superintendent , Government Press, Gulzarbagh, Patna – 07/Incharge e-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna to publish in Extra Ordinary Edition of Gazette.

It is requested that 1000 extra copies of notification may kindly be made available to Home Department (Police Section) for use by the office.

Sd/-
Additional Secretary to Govt.

Memo No.-4/B-1-102/2008 H.P................ Patna, Dated....................../

Copy to :- Forwarded to Director General of Police, Bihar, Patna with the request that action may be taken to substitute the amended portions as per the orders of the State Government.

Sd/-
Additional Secretary to Govt.

Memo No.-4/B-1-102/2008 H.P...2170... Patna, Dated..10/12/12../

Copy to :- Forwarded to I.T. Manager, Home Department, Bihar, Patna for information & necessary action.

Additional Secretary to Govt.